UPJB010046272026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जिला अमरोहा

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1058/2026

गुफरान पुत्र त्यागी, निवासी ग्राम मितापुर थाना कितौर जिला मेरठ।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–215/2016
धारा– 3/25 आयुध अधिनियम
थाना– हसनपुर, जिला– अमरोहा।

जमानत प्रार्थना–पत्र का निस्तारण

दिनांकः 19.06.2026

उपरोक्त प्रकरण में वारंट पर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदक/अभियुक्त **गुफरान** की ओर से जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदक/अभियुक्त की उपरोक्त प्रकरण में प्रथम बार जमानत न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, अमरोहा से दिनांक 08.08.2024 को स्वीकार की गयी थी और आवेदक/अभियुक्त के वारंट पर जेल जाने के उपरान्त उसके द्वारा यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

03. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। वह मजदूरी करने बाहर चला गया था, जिस कारण माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका और न ही अपनी अधिवक्ता को सूचित कर सका, जिस कारण उसके विरूद्ध एन०बी०डब्लू० जारी हो गये। उसने जानबुझकर कोई गलती नहीं की है। वह भविष्य में न्यायालय में हाजिर आता रहेगा और न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का पूर्णत: पालन करेगा। वह अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। वह दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत की याचना की गयी।

04. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त ने जमानत का दुरूपयोग किया है और लम्बे समय तक उपस्थित नहीं हुआ है। अतः उसकी जमानत निरस्त की जाये।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया।

05. पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि प्रश्नगत मामले में आवेदक/अभियुक्त पूर्व में विद्वान न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, अमरोहा से जमानत पर था। उपरोक्त मामले में नियत तिथियों को आवेदक/अभियुक्त के सम्बन्धित न्यायालय में उपस्थित न होने के कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध दिनांक 26.11.2025 को वारंट जारी किये गये है तथा दिनांक 17.06.2026 को विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक को धारा 346 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वारंट पर जिला कारागार भेजा गया है। आवेदक की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि वह नियत दिनांक पर हाजिर अदालत उपस्थित रहेगा और जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। आवेदक दिनांक 17.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है।

प्रस्तुत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने के आधार पर्याप्त हैं। तदनुसार आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.06.19 15:30:06 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **गुफरान** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त द्वारा मुबलिग 2,00,000/–(दो लाख) रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **एक प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– आवेदक/अभियुक्त, उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक/अभियुक्त गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

3–आवेदक/अभियुक्त, न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत/जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

4–आवेदक/अभियुक्त, आरोप विरचित करने के दिनांक व बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5–मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक/अभियुक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–19.06.2026

(शाकिर हसन)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
अमरोहा
JO CODE–UP2416

टाईपकर्ताः राजीव कश्यप, आशुलिपिक

04. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत किये गये कि उसे झूठा फंसाया गया है। उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। वह निर्दोष है। उसने जानबुझकर कोई गलती नहीं की है। वह भविष्य में न्यायालय में हाजिर आता रहेगा और न्यायालय के आदेशों व निर्देशों का पूर्णत: पालन करेगा। वह अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। वह दिनांक 03.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत की याचना की गयी।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त करने की याचना की गयी है।

05. केस डायरी के अवलोकन से दर्शित होता है कि कथित घटना दिनांक 04.06.2016 को समय करीब 12:30 बजे दिन की है, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन समय 15:20 बजे सम्बन्धित थाने पर दर्ज करायी गयी है।

फर्द बरामदगी के अनुसार मामला 02 अदद तमंचे 315 बोर, 02 खाखो कारतूस, 07 कारतूस जिंदा 315 बोर, एक 12 बोर बंदूक, 01 खोखा कारतूस 12 बोर, 09 जिंदा कारतूस 12 बोर व 01 अदद चाकू की बरामदगी का है।

06. केस डायरी के अवलोकन से यह भी दर्शित है कि मामले में अभियोजन की ओर से आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी दर्शित नहीं है। मामला प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है। आवेदक को दिनांक 17.06.2026 को धारा 346 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का वांरट बनाकर जिला कारागार भेजा गया है। आवेदक लगभग **17.06.2026** से जिला कारागार में निरूद्ध है।

अत: मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, प्रश्नगत मामले में गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, आवेदक को जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार आवेदक का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **गुफरान** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक उपरोक्त द्वारा मुबलिग 25,000/– **(पच्चीस हजार)** रुपये का निजी बन्धपत्र एवं इतनी ही धनराशि के **एक प्रतिभू** सम्बन्धित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तों पर उसे जमानत पर रिहा किया जायेः–

1– आवेदक विवेचना एवं विचारण में सहयोग करेगा।

2– आवेदक गवाहों को डराने व धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

3– आवेदक न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत /जरिये अधिवक्ता उपस्थित रहेगा।

4– आवेदक आरोप विरचित करने के दिनांक व कथन अंतर्गत धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियत दिनांक पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

5– आवेदक विचारण के समय मामले में साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर साक्षीगण के उपस्थित रहने पर स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

यह कि उक्त शर्तों का आवेदक उपरोक्त द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधि अनुसार निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक–**19.06.2026**

(शाकिर हसन)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश
अमरोहा
JO CODE–UP2416

टाईपकर्ताः राजीव कश्यप, आशुलिपिक